न्यायालय : तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एम.पी. / एम.एल.ए.)
जिला– ग्वालियर (म.प्र.)
(समक्ष–देवेश उपाध्याय)

Case Number	MJC-R/2755/2023
Filling Number	MJC-R/21097/2023
CNR Number	MP0701 026088 2023
Registration Date	25-09-2023

विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त, भोपाल संभाग, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

——अभियोगी

विरूद्ध

01– पी.के.सिंह पुत्र श्री आर.डी.सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अशोकनगर, निवासी ग्राम मरवाह पोस्ट रजियापट्टी जिला गोपालगंज, बिहार

02–शमशाद पठान पुत्र श्री सरदार खान पठान, राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका परिषद अशोकनगर, निवासी वार्ड क्र. 04, कटरा मोहल्ला अशोक नगर म0प्र0

03– जजपाल सिंह उर्फ जज्जी पुत्र श्री गुरूमेज सिंह, तत्कालीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अशोकनगर, निवासी वार्ड क्र. 07, विदिशा रोड अशोकनगर, म0प्र0

04– राकेश श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रकाश नारायण श्रीवास्तव, लेखापाल, नगर पालिका परिषद अशोक नगर, निवासी बसंब विहार कॉलोनी, अशोकनगर म0प्र0

05– राजेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, कान्ट्रेक्टर, निवासी 905 / 9 नंदानगर, इंदौर म0प्र0

———अभियुक्तगण

अभियोगी म0प्र0 राज्य की ओर से – श्री मनीष शर्मा, विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण की ओर से – कोई नहीं।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09.02.2026 को पारित)

01. इस आदेश द्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त भोपाल के अपराध क्रमांक 17/2017 अंतर्गत धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भा0द0सं0 में लोकायुक्त कार्यालय जिला ग्वालियर द्वारा अभियुक्त 01–पी.के.सिंह, तत्कालीन मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर पालिका परिषद अशोकनगर 02–शमशाद पठान पुत्र श्री सरदार खान पठान, राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद अशोकनगर 03– जजपाल सिंह उर्फ जज्जी तत्कालीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अशोकनगर, 04–राकेश श्रीवास्तव, लेखापाल, नगर पालिका परिषद अशोक नगर एवं 05–राजेश शर्मा के विरूद्ध प्रस्तुत खात्मा प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

02. विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त जिला अशोकनगर का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.2015 को आवेदक देवेन्द्र ताम्रकार पूर्व पार्षद भाजपा वार्ड क्रमांक 17 अशोक नगर ने तत्का. पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह गौर को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त में उपस्थित होकर अनावेदकगण के विरूद्ध अशोकनगर शहर में आठ हाईमास्ट लाइट नियम विरूद्ध लगवाने का टाइपशुदा आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर से प्राथमिक जांच क्रमांक 54/2015 दर्ज होने के उपरांत दिनांक 25.04.2015 को निरीक्षक अतुल सिंह को जांच हेतु सुपुर्द की गई। जांच के दौरान आवेदक एवं साक्षीगण के कथन लिये गये तथा शिकायत से संबंधित अभिलेख कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अशोकनगर एवं सर्तकता समिति लोकायुक्त ग्वालियर से प्राप्त किये गये तथा स्थानीय निकाय के वरिष्ठ कार्यालय के उपसंचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री आर.के. कार्तिकेय द्वारा की गई जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जांच में पाया गया कि आरोपीगण क्र. 01 लगायत 04 जो कि नगर पालिका परिषद अशोकनगर के क्रमशः मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, तत्कालीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष तथा लेखापाल के द्वारा आरोपी क्रं. 05 ठेकेदार श्री राजेश शर्मा प्रोपराइटर शुभम

इलेक्ट्रीकल्स इन्दौर के साथ षडयंत्रपूर्वक अपने अपने पदों का दुरूपयोग करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से इस संबंध में लिखी गई शासकीय नोटशीट, कार्यादेश, संपादित किये गये अनुबंध पत्र आदि दस्तावेजों में हेराफेरी, कांटछांट कर कई दस्तावेजों की कूटरचना करते हुए प्रस्तावित 04 हाईमास्ट लाईट कीमती 25.37 लाख के स्थान पर 08 हाईमास्ट लाईट कीमती 58.76 लाख के अशोकनगर शहर में स्थापित कराकर नगर पालिका परिषद अशोक नगर को लगभग 33.39 लाख रूपये की क्षति कारित की। संपूर्ण जांच उपरांत उक्त अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट एवं धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि का अपराध पाये जाने से जांच प्रतिवेदन मुख्यालय भेजा गया।

03. उक्त जांच प्रतिवेदन पर से मुख्यालय लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा असल अपराध कायमी हेतु निर्देशित किये जाने पर अपराध क्रमांक 17/2017 पंजीबद्ध कर विवेचना तत्कालीन निरीक्षक अतुल सिंह द्वारा प्रारंभ की गई। तत्पश्चात् अग्रिम विवेचना श्री पी.के.चतुर्वेदी निरीक्षक को प्राप्त हुई एवं पश्चात् प्रक्रम पर अग्रिम अनुसंधान हेतु निरीक्षक राघवेंद्र ऋषीश्वर को प्राप्त हुई। अनुसंधान में पाया गया कि सर्वप्रथम दिनांक 17.03.2015 को आवेदक देवेंद्र ताम्रकार द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर जांच के दौरान जांचकर्ता द्वारा अशोक नगर में पहुंचकर मौके पर स्थापित सभी 8 हाईमास्ट लाइट का अवलोकन कर भौतिक सत्यापन किया गया एवं पंचनामा बनाया गया। उक्त आवेदक द्वारा इन्हीं बिन्दुओं की शिकायत पर से जांच सर्तकता समिति, थाटीपुर ग्वालियर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त जांच में पाया गया कि सर्वप्रथम दिनांक 17.07.14 को नवीन पार्क तुलसी सरोवर, नया बस स्टेण्ड आदि स्थानों पर हाईमास्ट लाईट लगाने हेतु नोटशीट लेख की गई जिसमें इन लाइटों की हाईट, लगने वाले मटेरियल के विषय में सहायक यंत्री नगर पालिका की राय लिया जाना लेख किया गया। सहायक यंत्री द्वारा दिनांक 17.07.14 को और तत्पश्चात् दिनांक 23.07.14 को बस स्टेण्ड अथवा कन्जस्टेड स्थान पर 12 मीटर एवं तुलसी सरोबर अथवा अन्य खुला मैदान हेतु 16 मीटर के हाईमास्ट लाईट उपयुक्त होना बताकर उनकी दर सूची संलग्न कर स्थान नियत करने एवं होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु सी.एम.ओ के पास भेजा गया। दिनांक 25.07.14 को पुनः सी.एम.ओ. से सहायक यंत्री द्वारा चर्चा कर नोटशीट लेख की गई एवं 25 मीटर व 18 मीटर की हाईमास्ट लगाये जाने हेतु एवं होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु परिषद में विचारार्थ रखे जाने हेतु सी.एम.ओ के पास भेजा गया।

04. विवेचना के अनुक्रम में अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा पाया गया कि अध्यक्ष द्वारा होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा विज्ञप्ति जारी करने हेतु नोटशीट में लेख किया गया। दिनांक 06.08.14 को सहायक यंत्री द्वारा विभिन्न उंचाई की चार हाईमास्ट क्रय करने हेतु विज्ञप्ति तैयार कर विज्ञप्ति अनुमोदनार्थ एवं विज्ञापन व्यय स्वीकृत करने हेतु सी.एम.ओ. को अग्रेषित की गई तथा विभिन्न उंचाई एवं कीमत की कुल 4 हाईमास्ट लाईट कुल कीमती 25.37 लाख की निविदा क्रमांक 1545 दिनांक 06.08.14 को स्थानीय समाचार पत्र नवभारत में प्रकाशित हुई जिसमें सूर्या, बजाज, क्राम्पटन, हेवल्स कंपनी मेक की दरें प्रपत्र सी पर आमंत्रित की गई थी। बाद में दिनांक 14.08.14 को वेलमोन्ट कंपनी के मेक के हाईमास्ट लाईट क्रय करने हेतु पत्र क्रमांक 1633 भूल सुधार हेतु प्रेषित कर विज्ञप्ति में शामिल किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार सीलबंद लिफाफों में निविदा डाली गई। उक्त निविदाएं दिनांक 23.08.2014 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री पी.के.सिंह द्वारा खोला गया जिसमें शुभम इलेक्ट्रीकल इन्दौर की दर 6,50,000/—रूपये 16 मीटर उंचाई के हाईमास्ट की दर न्यूनतम होने से ठेका श्री राजेश शर्मा को स्वीकृत किया गया एवं 04 के स्थान पर 08 हाईमास्ट लाईट कीमती लगभग 58.76 लाख रूपये स्थापित करने हेतु कार्यादेश पी.के.सिंह., सी.एम.ओ. द्वारा दिनांक 18.09.14 को जारी किया गया है। जबकि कार्यादेश जारी करने के पूर्व ठेकेदार राजेश शर्मा प्रो.शुभम इलेक्ट्रीकल्स से अनुबंध संपादित कराना था जो बाद में दिनांक 29.10.14 को स्टाम्प क्रय कर अनुबंध लेख कराया गया है जिस पर सी0एम0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है और राजेश शर्मा के हस्ताक्षर भी फर्जी होना प्रतीत होते हैं।

05. विवेचना में यह भी पाया गया कि उक्त अनुबंध का स्टाम्प पेपर जिला कोषालय अशोक नगर द्वारा दिनांक 22.09.2015 को जारी किया गया है तब उस पर पुरानी तारीख में अनुबंध लेख कर कूट रचना की गई है। दिनांक 24.09.2014 को निविदा समिति के सदस्यों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर सहायक यंत्री ने अपनी असहमति लेख की है, लेकिन उसमें कूटरचना कर (अ अक्षर को काटकर) सहमति शब्द बनाया गया है। दिनांक 29.10.2014 को ठेकेदार शुभम इलेक्ट्रीकल्स इन्दौर द्वारा रूपये 58,76,000/— का देयक 13 प्रतिशत वेट टैक्स की राशि 6,76,000/—रूपये जोड़कर प्रस्तुत किया गया जिसे राजस्व निरीक्षक शमशाद पठान द्वारा सी.एम.ओ. को प्रस्तुत किया गया और सी.एम.ओ. द्वारा भुगतान हेतु लेखापाल को मार्क कर दिया गया, जबकि निविदा की स्वीकृत राशि मय संपूर्ण टैक्स

के योग के साथ होगी। बाद में लगभग 06 माह पश्चात् शिकायत के डर से आयकर एवं वेटकर जमा करा ली गई। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र में सम्मिलित होकर 6,76,000/—रूपये का अधिक भुगतान प्राप्त किया। जिसका लगभग 06 माह तक अनुचित लाभ प्राप्त कर वापस किया।

06. विभागीय जांच में आरोपीगण के खिलाफ हाईमास्ट लाईट क्रय कर उनका भुगतान करने के संबंध में सक्षम वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति न लेकर एवं वेट टैक्स की राशि 6.75 लाख रूपये का पृथक से भुगतान कर वित्तीय अनियमितता कर नगर पालिका को वित्तीय एवं आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने का आरोप प्रमाणित पाये जाने से आरोपीगण को अलग—अलग दण्ड से दण्डित किया गया है एवं उक्त आरोपों के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय भोपाल को पत्र लेख किया गया जिस पर से माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा आरोपी जजपाल सिंह जज्जी, पी.के.सिंह, शमशाद पठान एवं स्व0 राकेश श्रीवास्तव को विभाग द्वारा उचित रूप से दण्डित किये जाने से संगठन स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने से प्रकरण समाप्त किये जाने का आदेश दिया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी राजेश शर्मा जो ठेकेदार होकर प्रायवेट व्यक्ति है, उसके विरूद्ध प्रकरण स्वमेव समाप्त हो जाता है। लोकायुक्त महोदय, भोपाल के आदेश के पालन में प्रकरण में खारिजी कता करने का प्रतिवेदन तैयार कर खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

07. खात्मा प्रकरण के विचार के अनुक्रम में सूचनाकर्ता/फरियादी देवेन्द्र ताम्रकर (न्या.सा.01), सूचना प्राप्तकर्ता एवं प्रारंभिक विवेचक पुलिस निरीक्षक अतुल सिंह (न्या.सा.02), अग्रिम विवेचक निरीक्षक पी.के.चतुर्वेदी (न्या.सा.03) तथा विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक राघवेंद्र ऋषीश्वर (न्या.सा.04) के कथन लेखबद्ध किये गये है। **रामस्वरूप विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2019 सी.आर0एल0जे0 4245 (सु0को0)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह कहते हुए कि आरोपी के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी, इस संबंध में यह सुस्थापित विधि है :—

(1)मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट को स्वीकार करे। यदि वह ऐसा करता है तो कार्यवाही समाप्त हो जायेगी।

(2)मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को खारिज कर सकता है।

(3)यदि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है तो वह अग्रिम अनुसंधान हेतु निर्दिष्ट कर सकता है।

08. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Bhupendra Singh Vs. State of M.P.L.L.R (2021) M.P. 764 (D.B)** की कंडिका–7 एवं 16 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:–

> 7. Having heard the contention of learned counsel, in view of the court, the contention that the learned trial court has exceeded its jurisdiction has no substance. It is settled law that when the closure report is not accepted, the Magistrate or the Special Judge has power to direct for further investigation or to take cognizance on the material produced before him, if he is of the opinion that the same is sufficient to prosecute the accused person, but if any sanction for prosecution by the competent authority is required in the law, then such cognizance cannot be taken unless and until the sanctioning authority after considering the material placed before him to grant sanction for the prosecution. In other cases, the Magistrate or the Judge despite of giving direction for further investigation may also direct the complainant to file protest petition and all material to support the allegations, if he desires so and, thereafter may take cognizance, if the sanction is not required or if any sanction is needed, the cognizance will be taken after granting sanction for prosecution by the competent authority and in case of absence of the sanction, the Magistrate or the Special Judge cannot proceed further as he is left no other option in the matter.
>
> 16- Indoubtedly, at the stage of consideration, the prayer of acceptance of the closure report, very lengthy and analytic order is not required but if the matter is sent back with the direction for further investigation or rejection of the prayer for acceptance of closure report, the order must have such contents which indicates shortcoming including suggestions and guidelines with regard to further investigation, if needed when the further investigation is not

required and the closure report is not acceptable and the prayer is rejected, the order must indicate in brief the material, available with the report, supporting the allegations and the reasons with regard to contrary opinion to the investigating officer. Merely saying the prima facie there is suspicion of the commission of the crime is not sufficient to reject the prayer for the closure report filed by the investigating agency. Brief, indicative and speaking order is required to strike balance and to ensure justice with the investigating agency and accused persons.

09. नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 102 में उपबंधित है कि जहां मामला संदेहास्पद हो वहां अपराधों को नहीं हटाया जाना चाहिए। एक बार रजिस्टर किये गये अभियोग को केवल पुष्टि कारक साक्ष्य पाने में असफलता के कारण हटाया जाना न्यायोचित नहीं है। अपराध घटित ही नहीं किया गया इसकी युक्तियुक्त निश्चयात्मक साक्ष्य आवश्यक है। साथ ही साथ इसी आधार पर न्यायालय ऐसा आदेश देने के लिए अस्वीकार नहीं करेगा कि उसके समक्ष सम्यक वैधानिक साक्ष्य नहीं है, जिस पर वह आरोप का झूठा या गलत होना घोषित कर सके।

10. इस प्रकार नियम तथा आदेश (आपराधिक) 102 के उपरोक्त प्रावधान के आलोक में यह स्पष्ट है कि रजिस्टर किये गये अभियोग को केवल पुष्टिकारक साक्ष्य पाने में असफलता के कारण हटाया जाना उचित नहीं है। बल्कि अपराध घटित ही नहीं हुआ, इसके तार्किक निश्चय के लिए कुछ सकारात्मक साक्ष्य आवश्यक है।

11. उपरोक्त न्यायदृष्टांत एवं नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 102 के प्रावधान के आलोक में संबंधित खात्मा प्रकरण में अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्य तथा खात्मा प्रतिवेदन पर विचार के दौरान प्रथम सूचना लेखक एवं विवेचक के कथनों के आधार पर खात्मा स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

12. खात्मा प्रकरण के अनुक्रम में शिकायतकर्ता को सूचना–पत्र के माध्यम से आहूत कर उसके कथन लेखबद्ध किये जाने पर शिकायतकर्ता देवेंद्र ताम्रकर (न्या. सा.01) ने यह कथन किया है कि उसने वर्ष 2015 में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को नगर पालिका अशोकनगर द्वारा हाईमास्ट लाइट क्रय करने में हुए घोटाले एवं वित्तीय अनियमितता के संबंध में शिकायत की थी। उक्त लाइट क्रय

किये जाने में 35 लाख रूपये से अधिक राशि की अनियमितता हुई जिसमें विज्ञप्ति गलत प्रक्रिया से निकाली थी एवं चार हाईमास्ट लाईट खरीदने की विज्ञप्ति निकाली गई थी, लेकिन प्रकिया के विपरीत आठ हाईमास्ट लाइट खरीदी गई थी। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि विज्ञप्ति में कंपनी के दिए गए नामों से अन्य कंपनी वेलमांट की लाइट खरीदी गई थी, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी नहीं ली गई थी तथा टैक्स जमा करने की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी, हेरफेर हुई है, जिसमें शासन को क्षति हुई। शिकायतकर्ता देवेंद्र ताम्रकर द्वारा की गई शिकायत के संबंध में प्राथमिक जांच कमांक 54/2014 अनावेदकगण के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई।

13. प्राथमिक जांचकर्ता तत्कालीन निरीक्षक श्री अतुल सिंह (न्या.सा.02) ने कथन किया है कि शिकायतकर्ता देवेंद्र ताम्रकर द्वारा की गई शिकायत के संबंध में प्राथमिक जांच के दौरान पाया कि अनावेदकगण ने 04 हाईमास्ट शहर में लगाने हेतु निविदा कमांक 1545 दिनांक 06.08.2014 प्रकाशित करायी थी जिसमें बेलमोन्ट कंपनी का नाम नहीं था। अनावेदकगण ने बाद में बेलमोन्ट कंपनी को हाईमास्ट स्थापित करने के लिए शामिल किया था तथा बेलमोन्ट कंपनी के ठेकेदार राजेश शर्मा, शुभम इलेक्ट्रीकल्स, इंदौर की निविदा न्यूनतम रूपये 06,50,000/—(छः लाख पचास हजार रूपये) बताकर स्वीकृत की तथा इस ठेकेदार से 04 के स्थान पर 08 हाईमास्ट कीमती 58.76 लाख रूपये स्थापित कराये। कंपनी को संपूर्ण धनराशि का भुगतान बगैर आयकर एवं वाणिज्य कर काटकर कर दिया गया। उसके उपरांत शिकायत के डर से आयकर एवं वैट कर काटा गया। अनावेदकगण ने सक्षम अधिकारी से हाईमास्ट लगाने के लिए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली थी एवं पृथक से इस कार्य हेतु बजट आवंटन पी.आई.सी. से स्वीकृत नहीं कराया गया। अनावेदक शमशाद पठान, राजस्व निरीक्षक तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारी नहीं होने पर भी उससे बिल सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही करायी गई। प्रकरण में कार्यादेश दिनांक 18.09.2014 को जारी किया गया, जबकि प्रकरण के कार्य को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों के साथ नगर पालिका परिषद के द्वारा एग्रीमेंट दिनांक 29.10.2014 को किया गया है। जो स्टाम्प ठेकेदार राजेश शर्मा द्वारा ओमप्रकाश गुप्ता, मुद्रांक विक्रेता तहसील अशोक नगर से दिनांक 29.10.2014 को कय कर अनुबंध लेख किया गया है, वह स्टाम्प पेपर जिला कोषालय अशोक नगर द्वारा दिनांक 22.09.2015 को जारी किया गया है।

14. प्राथमिक जांचकर्ता अतुल सिंह (न्या.सा.02) ने यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा संपूर्ण जांच के उपरांत पाया कि लोकसेवक होते हुए नगर पालिका

परिषद अशोकनगर के अध्यक्ष जजपाल सिंह उर्फ जज्जी, सी.एम.ओ. पी.के.सिंह, राजस्व निरीक्षक शमशाद पठान, लेखापाल राकेश श्रीवास्तव द्वारा ठेकेदार राजेश शर्मा से मिली–भगत कर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए पद का दुरूपयोग कर धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व भारतीय दण्ड विधान की धारा 120बी, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत अपराध घटित होना पाया गया तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51(1) के तहत नगर पालिका अध्य क्ष एवं उक्त अधिनियम की धारा 50(2), 92, 97 के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत अपराध घटित होना पाया गया एवं म0प्र0 नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त नियम) 1968 के नियम 35(1) के तहत राजस्व निरीक्षक शमशाद पठान एवं नियम 35(1) के तहत लेखापाल, म0प्र0 लेखापाल अधिनियम 1971 के नियम 81 के तहत भी लेखापाल के द्वारा प्रथम दृष्ट्या अपराध गठित होना पाया गया। अतः सभी अपराधियों के विरूद्ध ऊपर वर्णित धाराओं के तहत प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित करना जांच के दौरान पाया गया था। साक्षी ने उसके द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट **प्रदर्श सी 07** होना व्यक्त किया है।

15. प्राथमिक जांचकर्ता अतुल सिंह (न्या.सा.02) ने व्यक्त किया है उसके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 7550/प्रा.जां. 54/2015 /विपुस्था/16 भोपाल, दिनांक 14.12.2016 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, ग्वालियर संभाग को आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने हेतु आदेशित किया गया। आदेश के पालन में उसके द्वारा अपराध क्रमांक 0/2017 धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व भारतीय दण्ड विधान की धारा 120बी, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत, नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51(1), 50(2), 92, 97 एवं म0प्र0 नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त नियम) 1968 के नियम 35(1) तथा म0प्र0 लेखापाल अधिनियम 1971 के नियम 81 के तहत आरोपीगण पी.के. सिंह, शमशाद पठान, जजपाल सिंह उर्फ जज्जी, राकेश श्रीवास्तव और राजेश शर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी जो 08 पृष्ठों में है, जो **प्रदर्श सी 11 है** जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रदर्श सी 11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त अपराध की असल अपराध क्रमांक 17/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसे प्राप्त हुई थी जो **प्रदर्श सी 12 है।** इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर के द्वारा उक्त प्रकरण

की विवेचना निरीक्षक श्री पी.के.चतुर्वेदी को प्रस्तुत की गई थी।

16. अनुसंधानकर्ता क्रमांक 01 निरीक्षक पी.के.चतुर्वेदी (न्या0सा0–3) ने खात्मा प्रतिवेदन के संबंध में कथन किया है कि विवेचना के अनुक्रम में उसके द्वारा दिनांक 11.10.2018 को फरियादी देवेंद्र ताम्रकर, दिनांक 21.02.2019 को साक्षी विजय सिंह नामदेव, दिनांक 11.02.2019 को ओमप्रकाश गुप्ता, श्री विनय कुमार गुप्ता, सुनील जैन के कथन उनके बतायेनुसार लेखबद्ध किये थे। तात्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकनगर पी.के.सिंह. द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को प्रेषित पत्र प्रदर्श सी. 15 दिनांक 28.12.2017 को उसे प्राप्त हुआ था, जिसमें जांच प्रकरण 54/2015 एवं उपसंचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मोतीमहल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 221/2014 पर प्रारंभिक जांच के आधार पर पंजीबद्ध एफ.आई.आर. को निरस्त करने के संबंध में पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न किये गये। जिला कोषालय अधिकारी जिला अशोकनगर द्वारा पत्र क्रमांक/स्टाम्प/कोषा./2019/736 दिनांक 05.11.2019 का पत्र पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संभाग ग्वालियर म.प्र. को भेजा गया, उक्त पत्र प्रदर्श सी 16 है जो उसे दिनांक 11.11.2019 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त हुआ। साक्षी ने दिनांक 07.11.2019 को उसका स्थानांतरण जिला पुलिस बल ग्वालियर में होने के कारण अग्रिम विवेचना श्री राघवेंद्र ऋषीश्वर को आदेश प्रदर्श सी 17 के माध्यम से सुपुर्द किया जाना व्यक्त किया है।

17. अनुसंधानकर्ता क्रमांक 02 तत्कालीन निरीक्षक राघवेंद्र ऋषीश्वर (न्या0सा0–04) ने खात्मा प्रतिवेदन के संबंध में यह कथन किया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लिये गये एवं दस्तावेज प्राप्त किये गये थे। साक्षीगण के कथन एवं प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि नगर पालिका परिषद अशोकनगर द्वारा टेण्डर प्राप्त कर ठेकेदार राजेश शर्मा से 04 के बजाय 08 हाईमास्ट लाईट लगायी गई एवं उनका पेमेंट टेण्डर के अनुसार स्वीकृत राशि में ही किया गया, लेकिन तत्कालीन लेखा अधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा उसका वैट टैक्स नहीं काटा गया जिसे बाद में ठेकेदार से जमा करा लिया है। इस प्रकार लगाई गई हाईमास्ट लाइट का भुगतान मुताबिक टेण्डर के ही किया गया है जो वित्तीय अनियमितता के अंतर्गत आने से उक्त समस्त आरोपीगण जिनमें से एक आरोपी श्री राकेश श्रीवास्तव जिनका देहांत हो चुका है, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई, जिस पर संभागीय उपसंचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ग्वालियर/चंबल संभाग श्री आर.के.कार्तिकेय की जांच रिपोर्ट एवं उनके द्वारा की गई जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों से विभागीय जांच में आरोपीगण के खिलाफ लगाये गये आरोप

प्रमाणित पाये जाने से आरोपीगण को विभाग द्वारा अलग–अलग दण्ड से दण्डित किया गया है।

18. राघवेंद्र ऋषीश्वर (न्या0सा0–04) ने खात्मा प्रतिवेदन के संबंध में व्यक्त किया है कि पी.के.सिंह तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकनगर, श्री शमशाद पठान तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद अशोक नगर, श्री राकेश श्रीवास्तव लेखापाल नगर पालिका परिषद अशोक नगर को विभाग द्वारा उचित रूप से दण्डित किये जाने से संगठन स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने से प्रकरण समाप्त किये जाने का माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा आदेश दिया गया है एवं प्रकरण के अन्य आरोपी राजेश शर्मा जो ठेकेदार होकर प्रायवेट व्यक्ति है, जिनके विरूद्ध प्रकरण शासकीय सेवक न होने से स्वयं समाप्त हो जाता है। अतः उसके मतानुसार आरोपीगण के द्वारा प्रकरण में वित्तीय अनियमितताएं की गई थी जिसमें अपराध गठित होने के कोई प्रमाण न पाये जाने से प्रकरण को इसी स्थिति में समाप्त किया जाकर प्रकरण में खारिजी कता किया जाना उचित होगा और इस बात का प्रतिवेदन मय दस्तावेजों के **प्रदर्श सी 37** है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं जो कुल 22 पृष्ठों में है, जो उसके द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को दिया गया था।

19. राघवेंद्र ऋषीश्वर (न्या0सा0–04) ने खात्मा प्रतिवेदन के संबंध में यह भी व्यक्त किया है कि उपपुलिस अधीक्षक प्रशासन हेतु पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/2552/अपराध क्रमांक 17/17/विपुस्था /21 दिनांक 01.04.2021 का पत्र पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर, संभाग ग्वालियर को दिया गया था जिसमें निर्देशित किया गया था कि माननीय न्यायालय में खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और अद्यतन स्थिति से मुख्यालय को अवगत कराये, उक्त पत्र **प्रदर्श सी 38** है, जो दिनांक 03.04.2021 को उसे पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर से प्राप्त हुई थी। चूंकि प्रकरण में वित्तीय अनियमितताएं होने के कारण विभाग द्वारा आरोपीगण को उचित रूप से दण्डित किया जा चुका था जिस पर माननीय लोकायुक्त महोदय ने आदेशित किया था कि संगठन स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने से प्रकरण समाप्त किया जाना उचित होगा। अतः उपरोक्तानुसार उसके द्वारा अपराध क्रमांक 17/2017 धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)डी, 13(2) एवं धारा–420, 470, 467, 468, 471, 120बी भा0द0सं0 में पेश की गई खात्मा रिपोर्ट 01/2017 है, जो प्रदर्श सी 39 है।

20. हस्तगत् खात्मा प्रतिवेदन, संलग्न प्रपत्र एवं शिकायतकर्ता व अनुसंधानकर्तागण द्वारा किए गए कथनों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ठेकेदार राजेश शर्मा जो एक प्रायवेट व्यक्ति होकर लोकसेवक नहीं था, उसके विरूद्ध प्रकरण स्वतः समाप्त होने के आधार पर खात्मा प्रस्तुत किया गया है तथा शेष अनावेदकगण के विरूद्ध केवल वित्तीय अनियमितता पाई जाना, जिसके संबंध में विभागीय कार्यवाही में दण्डित किये जाने के आधार पर संगठन स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने से खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

21. इस संबंध में प्राथमिक जांचकर्ता अतुल सिंह द्वारा जांच के दौरान पाया कि जो स्टाम्प पत्र ठेकेदार राजेश शर्मा द्वारा ओमप्रकाश गुप्ता, मुद्रांक विक्रेता तहसील अशोक नगर से दिनांक 29.10.2014 को क्रय कर अनुबंध लेख करना बताया गया है, जो कि नगर पालिका अशोक नगर के अभिलेख के साथ संलग्न होकर प्रकरण में प्रस्तुत है, उस अनुबंध पत्र का स्टाम्प पेपर जिला कोषालय अशोकनगर द्वारा दिनांक 22.09.2015 को जारी किया गया है। तब उक्त एकत्रित साक्ष्य से यह स्पष्टतः परिलक्षित है कि अनावेदक पक्ष द्वारा कथित घटनाक्रम के संबंध में दिनांक 22.09.15 को या उसके पश्चात् पिछली तारीख दिनांक 29.10.2014 का अनुबंध लेख तैयार किया गया है। इस संबंध में राघवेंद्र ऋषीश्वर ने नगर पालिका अशोकनगर एवं शुभम इलेक्ट्रीकल्स इंदौर के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र प्रदर्श पी 43 पर विचार करते हुए यह लेख किया है कि प्रदर्श पी 43 का स्टाम्प पत्र जिला कोषालय अशोक नगर द्वारा मुद्रांक विक्रेता को सितंबर 2015 में जारी किया गया है। तब दिनांक 22.09.2015 को जारी स्टाम्प पत्र पर दिनांक 29.10.2014 का अनुबंध पत्र निष्पादित करना कैसे संभव है। उक्त प्रदर्श पी 43 के अनुबंध पत्र पर नगर पालिका अशोकनगर की ओर से किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और राघवेन्द्र ऋषीश्वर (न्या.सा.04) ने अनुबंध पत्र पर राजेश शर्मा के भी फर्जी हस्ताक्षर प्रतीत होना कहा है, किन्तु हस्ताक्षरों के संबंध में राजेश शर्मा के कोई नमूना हस्ताक्षर लिये जाकर हस्तलिपि विशेषज्ञ से अनुसंधान के दौरान जांच नहीं कराई गई है।

22. राघवेन्द्र ऋषीश्वर द्वारा प्रदर्श पी 43 के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के संबंध में व्यक्त की गई उक्त स्थिति पर विचार किया जाये, तब भी यह स्पष्ट करने का दायित्व अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 जो कि नगर पालिका के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, अध्यक्ष एवं लेखापाल, पर है कि उक्त अनुबंध नगर पालिका के अभिलेख में कैसे संलग्न है, जबकि उक्त अभिलेख अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 के नियंत्रण का ही है। उक्त अनुबंध पत्र नगर

पालिका अशोकनगर के अभिलेख में कैसे पहुंचा, किसके द्वारा तैयार किया गया और कार्यादेश जारी होने के लगभग एक वर्ष पश्चात् तैयार किये जाने का क्या प्रयोजन था। **उक्त तथ्यों के संबंध में अन्वेषण के दौरान राघवेंद्र ऋषीश्वर द्वारा विवेचना कर कोई निष्कर्ष दिया जाना दर्शित नहीं है।**

23. अनावेदकगण पी.के.सिंह तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकनगर, शमशाद पठान तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद अशोक नगर, राकेश श्रीवास्तव लेखापाल, नगर पालिका परिषद अशोक नगर एवं जजपाल सिंह उर्फ जज्जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अशोकनगर को विभाग द्वारा उचित रूप से दण्डित किये जाने के आधार पर खात्मा प्रस्तुत किया गया है और अनुसंधानकर्ता राघवेंद्र ऋषीश्वर ने अभियोगी की शिकायत के संबंध में केवल वित्तीय अनियमितता पाई जाना लेख किया है। जबकि अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा निरीक्षक महोदय, लोकायुक्त ग्वालियर को दिये गये शिकायत आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2015 के साथ दिये गये कार्यालय नगर पालिका परिषद अशोकनगर की नोटशीट दिनांक 18.09.2014 से 20.10.2014 की छायाप्रति प्रस्तुत की है और यह आक्षेपित किया है कि नगर पालिका के अभिलेख में हाईमास्ट लाइट लगवाये जाने के संबंध में प्रचलित फाइल नंबर 10/2014X4 की नोटशीट संख्या 05 एवं 06 को बाद में बदल दिया गया है। उक्त आक्षेप की पुष्टि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत के साथ संलग्न नोटशीट के पृष्ठ कमांक 05 एवं 06 की प्रस्तुत छायाप्रति तथा नगर पालिका अभिलेख में संलग्न नोटशीट के पृष्ठ कमांक 05 एवं 06 का मिलान करने पर नग्न आंखों से ही यह दर्शित है कि उक्त नोटशीट पृथक–पृथक हैं। नगर पालिका अभिलेख के साथ संलग्न समस्त नोटशीट नीली एवं काली स्याही से लेख होना दर्शित हो रही हैं जबकि अभिलेख में केवल नोटशीट की पृष्ठ संख्या 05 एवं 06 छायाप्रति (फोटोकॉपी) है। उक्त स्थिति से यह स्पष्ट दर्शित है कि नगर पालिका परिषद के अभिलेख में नोटशीट संख्या 05 एवं 06 परिवर्तित की गई है, उक्त परिवर्तित नोटशीट पर नगर पालिका अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित है।

24. शिकायतकर्ता द्वारा निरीक्षक लोकायुक्त के समक्ष कार्यालय नगर पालिका परिषद, अशोकनगर की नोटशीट संख्या 05 एवं 06 की प्रस्तुत छायाप्रति एवं नगर पालिका के अभिलेख के साथ संलग्न नोटशीट संख्या 05 एवं 06 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने पर यह भी प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा

प्रस्तुत नोटशीट की पृष्ठ संख्या 05 अनुसार दिनांक 18.09.2014 की नोटशीट में यह लेख है कि **''उक्तानुसार परिषद के प्रस्ताव अनुसार न्यूनतम दर की स्वीकृति हेतु''**, इसके उपरांत उक्त नोटशीट पर इसी दिनांक में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद की सील व हस्ताक्षर से यह भी लेख है कि **''न्यूनतम दर स्वीकृत की जाती है कार्यादेश जारी करे''** और इसी दिनांक 18.09.2014 की नोटशीट पर वर्क ऑर्डर तैयार कर हस्ताक्षर हेतु पेश किया जाना भी लेख है। जबकि नगर पालिका के अभिलेख के साथ संलग्न नोटशीट में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना परिलक्षित है जिनमें कि दिनांक 18.09.14 को **''दर स्वीकृति हेतु निविदा समिति में रखा जाये''**, इसके उपरांत यह लेख किया है कि **''प्रकरण निविदा समिति में दर स्वीकृति विचारार्थ रखा गया समिति की रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न है अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ''** और उक्त दिनांक की ही नोटशीट में यह भी लेख है कि **''परिषद के प्रस्ताव एवं निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम दर स्वीकृति हेतु''** लेख है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत नोटशीट एवं नगर पालिका के अभिलेख पर संलग्न एकमात्र छायाप्रति नोटशीट पृष्ठ संख्या 05 एवं 06 में उक्त भिन्नता के संबंध में **अन्वेषण के दौरान राघवेंद्र ऋषीश्वर द्वारा विवेचना कर कोई निष्कर्ष दिया जाना दर्शित नहीं है।**

25. शिकायतकर्ता द्वारा निरीक्षक लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत नोटशीट की प्रति एवं नगर पालिका परिषद के अभिलेख पर संलग्न नोटशीट की प्रति में यह स्पष्ट अंतर परिलक्षित है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत नोटशीट में निविदा समिति के समक्ष दर स्वीकृति हेतु रखे जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि नगर पालिका परिषद के अभिलेख के साथ संलग्न नोटशीट संख्या 05 में निविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृति हेतु रखा जाना लेख किया है। नगर पालिका के अभिलेख में संलग्न नोटशीट संख्या 05 एवं 06 छायाप्रति है, मूल नोटशीट नहीं है, जो कि अभिलेख पर दर्शित परिस्थिति में सुदृढ़ रूप से यह इंगित करता है कि पूर्व में अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा अनावेदक क्रमांक 05 की निविदा स्वीकृत किये जाने में निविदा समिति की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और आनन फानन में प्रक्रिया का पालन किये बिना अनावेदक क्रमांक 05 की निविदा स्वीकार कर ली गई। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि नगर पालिका के अभिलेख के साथ संलग्न कार्यालय नगर पालिका परिषद अशोकनगर की निविदा समिति के समक्ष अनावेदक क्रमांक 05 की निविदा स्वीकृति की अनुशंसा हेतु रखे जाने के प्रपत्र पर कोई दिनांक लेख नहीं है और उक्त प्रपत्र पर सहायक यंत्री, नगर पालिका अशोकनगर द्वारा असहमति की टीप लेख कर हस्ताक्षर किये गये हैं और सहायक यंत्री के हस्ताक्षरों के

नीचे दिनांक 24.10.2014 लेख की गई है। जबकि दिनांक 24.10.2014 की कोई नोटशीट लेख नहीं है। इस संबंध में प्राथमिक जांचकर्ता अतुल सिंह द्वारा जांच प्रतिवेदन में कूटरचना के संबंध में जो तथ्य लेख किये हैं, उस संबंध में प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन प्रदर्श सी 37 में कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया गया है। उक्त नोटशीट क्यों परिवर्तित की गई और नोटशीट के पृष्ठ संख्या 05 व 06 की असल हस्तलिखित नोटशीट अभिलेख पर क्यों नहीं है, उक्त नोटशीट के संबंध में अनावेदकगण से कोई जानकारी भी नहीं ली गई है। **उक्त तथ्यों के संबंध में अन्वेषण के दौरान राघवेंद्र ऋषीश्वर द्वारा विवेचना कर कोई निष्कर्ष दिया जाना दर्शित नहीं है।**

26. यहां इस बिंदु पर विचार किया जाये कि सहायक यंत्री विनय कुमार गुप्ता द्वारा जांच कथन देने के उपरांत अनुसंधानकर्ता को दिनांक 11.02.2019 को जो कथन दिये हैं, उनमें सहायक यंत्री ने स्वयं का दिनांक 08.09.2014 से 25.09.2014 तक 18 दिवस अर्जित अवकाश पर रहने का कथन किया है और निविदा समिति कार्यादेश जारी करने के उपरांत दिनांक 24.10.2014 को उसके द्वारा हस्ताक्षर करना और असहमति व्यक्त करना कहा है। सहायक यंत्री द्वारा अनुसंधानकर्ता को दिये गये उक्त कथन के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि नगर पालिका निगम की नोटशीट दिनांक 17.07.2014, 23.07.2014 एवं 25.07.2014 के अनुसार हाईमास्ट लाईट के पोल की लंबाई और एक लाईट कितना एरिया कवर करेगी, इसकी उपयोगिता के संबंध में सहायक यंत्री से राय ली गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य तकनीकी स्वरूप का कार्य था जिसके लिए इसकी विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति से स्वीकृति एवं अनुशंसा लिये जाने की आवश्यकता होना उक्त नोटशीट से ही प्रकट है। तब ऐसी स्थिति में यदि सहायक यंत्री विनय कुमार दिनांक 08.09.2014 से 25.09.2014 तक अवकाश पर थे, तब समिति द्वारा अन्य सहायक यंत्री को निविदा समिति में शामिल कर अनुशंसा प्राप्त करनी चाहिए थी अथवा उक्त सहायक यंत्री के ही अवकाश से वापस आने तक इंतजार करना चाहिए था, किंतु उक्त तकनीकी कार्य हेतु निविदा स्वीकृति के पूर्व तकनीकी विशेषज्ञ की अनुशंसा के बिना कार्यादेश जारी किया जाना यह इंगित करता है कि अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग कर अनावेदक क्रमांक 05 के लिए धन संबंधी लाभ प्राप्त कराया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नोटशीट दिनांक 17.07.2014, 23. 07.2014 एवं 25.07.2014 में हाईमास्ट लाईट लगाये जाने हेतु प्रस्ताव को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु परिषद में रखे जाने हेतु अग्रेषित किया जाना लेख किया है, किंतु निविदा जारी करने के पूर्व परिषद की प्रशासकीय एवं वित्तीय

स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

27. उक्त बिंदु पर ही प्राथमिक जांचकर्ता अतुल सिंह द्वारा जांच प्रतिवेदन में दिनांक 24.09.2014 को निविदा समिति के सदस्यों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस पर सहायक यंत्री ने अपनी असहमति लेख की है, लेकिन उसमें कूटरचना कर (अ अक्षर को काटकर) सहमति शब्द बनाये जाने का तथ्य लेख किया है। उक्त संबंध में अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि कथनकर्ता विनय कुमार गुप्ता, सहायक यंत्री, नगर पालिका द्वारा प्रदर्श सी 04 के साथ संलग्न जांच संबंधी प्रपत्रों में जांच के दौरान अपने कथन में पद कमांक 04 में यह बताया है कि ''सीएमओ द्वारा दिनांक 18.09.2014 को दर स्वीकृति हेतु निविदा समिति में रखा जाये की टीप बाद में अंकित की गई है एवं निविदा समिति की अनुशंसा की रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को प्रकरण में बाद में अंकित की गई, इस कारण उसके द्वारा निविदा समिति में दिनांक 24.10.2014 को असहमति की टीप अंकित की गई, मूल दस्तावेज का उसके द्वारा अवलोकन करने पर पाया गया कि **असहमति शब्द को सहमति बनाया गया है,** जो कि रिकार्ड में हेराफेरी श्रेणी में आता है। सहायक यंत्री विनय कुमार गुप्ता के उक्त कथन की पुष्टि नगर पालिका परिषद अशोकनगर के प्र.क्र. 10/2014X4 में संलग्न कार्यालय नगर पालिका परिषद अशोकनगर निविदा समिति के समक्ष प्रकरण पेश होने पर सहायक यंत्री न.पा.अशोकनगर द्वारा हस्ताक्षर के ऊपर लेख इबारत में कांटछांट कर सहमति किया जाना स्पष्टतः दर्शित होता है। प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन प्रदर्श सी 37 में अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त बिंदु पर विवेचना कर कोई निष्कर्ष दिया जाना दर्शित नहीं है।

28. नगर पालिका परिषद के अभिलेख में नोटशीट संख्या 05 एवं 06 में कूटरचना किया जाना एवं प्रकिया का पालन किये बिना आनन–फानन में अनावेदक कमांक 05 को लाभ पहुंचाने हेतु निविदा स्वीकार किया जाना इस बात से भी दर्शित होता है कि नोटशीट अनुसार दिनांक 18.09.2014 को कार्यादेश कमांक/विद्युत/2014/1946 जारी किया गया है, जबकि PIC संकल्प कमांक 53/4 दिनांक 07.10.2014 को पारित किया गया है, जिसके अनुसार शहर के विभिन्न 08 स्थानों पर हाईमास्ट लाईट के पोल लगवाये जाने का निर्णय लिया गया है। जबकि परिषद के संकल्प कमांक 41 दिनांक 02.08.2014 में 08 हाईमास्ट लगवाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है और शेष समस्त कार्यवाही हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाना लेख है। कार्यादेश जारी किये जाने के पूर्व की किसी भी नोटशीट पर परिषद

के संकल्प कमांक 41 दिनांक 02.08.2014 के अनुसार विभिन्न स्थानों पर 08 हाईमास्ट लाईट लगाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

29. इसके अतिरिक्त दिनांक 18.09.2014 को हाईमास्ट स्थापित करने हेतु शुभम इलेक्ट्रीकल्स इंदौर को कार्यादेश जारी किये जाने के उपरांत शुभम इलेक्ट्रीकल्स इन्दौर का बिल कमांक 44 दिनांक 28.10.2014 अनुसार 6,50,000/–रूपये प्रति नग मूल्य के 08 नग कुल राशि 52,00,000 एवं उस पर अतिरिक्त वैट टैक्स 13% राशि 06,76,000/–रूपये कुल राशि 58,76,000/–रूपये का प्रस्तुत करने पर नोटशीट के पृष्ठ कमांक 09 पर दिनांक 12.11.2014 के अनुसार न.पा.निधि से 58,76,000/–रूपये का भुगतान टी.डी.एस. सहित करने का आदेश जारी किया गया। जिसके अनुकम में भुगतान आदेश कमांक 1034 दिनांक 12.11.2014 अनुसार 58,76,000/–रूपये का भुगतान 13% वैट टैक्स राशि सहित लेखापाल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा किया गया है। जबकि जारी निविदा विज्ञप्ति की शर्तों अनुसार दरे समस्त करों सहित प्रस्तुत किया जाना था, तब 13% वैट टैक्स राशि 06,76,000/–रूपये पृथक से भुगतान किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उक्त 58,76,000/–रूपये का भुगतान होने के उपरांत दिनांक 25.06.2015 को शुभम इलेक्ट्रीकल्स की ओर से राशि भुगतान वापस करने के संबंध में विषयांकित पत्र प्रस्तुत कर अधिक भुगतान होना स्वीकार कर राशि 06,76,000/–रूपये का कटौत्रा कर शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु दिया गया है। उक्त राशि 06,76,000/–रूपये का अतिरिक्त भुगतान शुभम इलेक्ट्रीकल्स को दिनांक 12.11.2014 के अनुसार न.पा.निधि से किये जाने के उपरांत दिनांक 25.06.2015 को लगभग 06 माह तक शासकीय धन का अनुचित लाभ प्राप्त कर वापस किया जो फरियादी देवेंद्र ताम्रकर के द्वारा की गई शिकायत दिनांक 17.03.2015 के पश्चात् शिकायत के डर से आयकर एवं वेटकर जमा कराया जाना दर्शित होता है।

30. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि विभागीय जांच में आरोपीगण के खिलाफ हाईमास्ट लाईट क्रय कर उनका भुगतान करने के संबंध में सक्षम वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति न लेकर एवं वेट टैक्स की राशि 6.76 लाख रूपये का पृथक से भुगतान कर वित्तीय अनियमितता कर नगर पालिका को वित्तीय एवं आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने का आरोप प्रमाणित पाये जाने से आरोपीगण को विभागीय स्तर पर अलग–अलग दण्ड से दण्डित किये जाने के आधार पर प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन वैध नहीं है। किसी लोकसेवक को विभागीय जांच में दण्डित किये जाने मात्र से उसका आपराधिक अवचार समाप्त नहीं होता है। विभागीय कार्यवाही में

दण्डित किये जाने मात्र से अनावेदकगण को आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। खात्मा प्रतिवेदन एवं अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्य के अनुसार ऐसी कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है, जिससे तर्कसंगत निश्चय के साथ यह माना जा सके कि अपराध घटित ही नहीं हुआ। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में ऊपर उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में सारभूत साक्ष्य एकत्रित करने हेतु अग्रिम विवेचना किया जाना न्यायसंगत है। किंतु अनावेदक (अभियुक्त) श्री राकेश श्रीवास्तव, लेखापाल नगर पालिका परिषद अशोक नगर की मृत्यु हो जाना दर्शित है, इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं हो सकती है, किंतु अन्य अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन अस्वीकार कर, निम्नलिखित बिंदुओं पर अग्रिम विवेचना करने हेतु निर्देशित किया जाता हैः—

1— निविदा जारी करने के पूर्व किसी प्रकार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं की गई, इस संबंध में साक्ष्य संकलित करे।

2— निविदा स्वीकृति के पूर्व तकनीकी विशेषज्ञ की अनुशंसा के बिना कार्यादेश जारी किये जाने के संबंध में साक्ष्य संकलित करे।

3— दिनांक 29.10.2014 को जारी स्टाम्प पत्र पर ठेकेदार राजेश शर्मा द्वारा निष्पादित किया जाना बताये गये अनुबंध पत्र दिनांक 22.09.2015 नगर पालिका अशोकनगर के अभिलेख में कैसे पहुंचा, किसके द्वारा तैयार किया गया और कार्यादेश जारी होने के लगभग एक वर्ष पश्चात् तैयार किये जाने का क्या प्रयोजन था, इस संबंध में साक्ष्य संकलित करे।

4— अनुबंध पत्र दिनांक 22.09.2015 पर राजेश शर्मा के हस्ताक्षरों की जांच करवाकर उक्त हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता की पुष्टि करे।

5— नगर पालिका परिषद के अभिलेख में संलग्न नोटशीट संख्या 05 व 06 क्यों और किस उद्‌देश्य से परिवर्तित की गई और नोटशीट के पृष्ठ संख्या 05 व 06 की असल हस्तलिखित नोटशीट अभिलेख पर क्यों नहीं है, जिसकी असल नोटशीट के संबंध में पूछताछ कर जब्ती की कार्यवाही कर साक्ष्य संकलित करे।

6— नगर पालिका परिषद अशोकनगर की निविदा समिति के समक्ष प्रकरण पेश होने पर सहायक यंत्री न.पा.अशोकनगर द्वारा हस्ताक्षर के ऊपर लेख इबारत में कांटछांट किसके द्वारा की गई, इस संबंध में साक्ष्य संकलित करे।

7— प्रकरण में अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलित करे।

31. उपरोक्त बिंदुओं पर अनावेदकगण के विरूद्ध सुदृढ़ साक्ष्य पाये जाने पर धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति हेतु समुचित कार्यवाही करे।

32. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन इस स्तर पर उक्त बिंदुओं पर समुचित अनुसंधान नहीं किये जाने से **अस्वीकार** किया जाता है।

33. आदेश की एक प्रति उक्त अभियोगपत्र के साथ संलग्न कर मूल अभिलेख पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को वापस किया जाये।

34. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, ग्वालियर मूल प्रकरण दस्तावेजों सहित प्राप्त होने के उपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुसार विधि अनुसार कार्यवाही कर पुनः अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।	मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।
सही / —	सही / —
(देवेश उपाध्याय) तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एम.पी. / एम.एल.ए. ग्वालियर (म.प्र.)	**(देवेश उपाध्याय)** तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एम.पी. / एम.एल.ए. ग्वालियर (म.प्र.)

DEVESH UPADHYAY

Digitally signed by DEVESH UPADHYAY
Date: 2026.02.09 17:59:53 +0530